पीएम आवास योजना 2.0 रैपिड एसेसमेंट सर्वे का कार्य 10 दिसम्बर तक

भिलाईनगर। आवास हेतु रैपिड एसेसमेंट सर्वे कार्य 15 नवम्बर से 10 दिसम्बर तक किया जा रहा है। नागरिको की सुविधा के लिए निगम के सभी पांच जोन कार्यालय में शिविर लगाया जा रहा है। जिसका समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। बीएलसी हितग्राही जिनके पास स्वयं का जमीन, भूखण्ड पटटा है, पैसे की कमी के कारण अपना पक्का मकान निर्माण नहीं कर पा रहे है उनके लिए यह योजना बहुत उपयोगी है। प्रथम फेस में कुल 5120 मकान का आबंटन स्वीकृत हुआ था। जिसमे से 4929 मकान पूर्ण हो गया है हितग्राही अपने मकान में निवास कर रहे है। वर्तमान में 191 मकान निर्माणाधीन है, प्रथम फेस में 15.08.2015 तक का लिया गया था। द्वितीय फेस 17.09.2024 विश्वकर्मा पूजा के दिन मान. प्रधानमंत्री जी द्वारा शुभांरभ किया गया। सर्वे के लिए आवश्यक दस्तावेज 1. लाभार्थियों को निर्धारित कट आफ तिथि 31.08.2024 से पूर्व निगम भिलाई क्षेत्र में निवासरत होने का दस्तावेज। 2. देश में कहीं भी स्वंय का मकान नहीं होना चालिए, इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 3. परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से कम होना चाहिए। 4. भूमि स्वामित्व दस्तावेज पट्टाध्रजिस्ट्रीध्आबादी पटटा प्रमाण पत्र। अन्य आवश्यक वैकल्पिक दस्तावेज 1. दिव्यांग हो तो 2. वरिष्ठ नागरिक हो तो 3.शासन की अन्या योजना से लाभ संबंधी दस्तावेज 4. बीपीएल राशन कार्ड परिवार का। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत पीएम आवास योजना 2.0 के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए किये जा रहे प्रयास– 1. सभी जोन कार्यालय में शिविर का आयोजन किया गया है। 2. सभी वार्डो में मुनादी के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जा रहा है। 3. सभी वार्डो में डोर–टू–डोर सर्वे कार्य के लिए आवेदन फार्म के साथ आवश्यक दस्तावेज लिया जा रहा है। 4. निगम भिलाई क्षेत्र में पीएम आवास 2.0 के आवेदन की प्रक्रिया हेतु पाम्पलेट का वितरण एवं चस्पा किया जा रहा है। 5. होर्डिंग बोर्ड, फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर के माध्यम से सभी क्षेत्रों में प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना मोर मकान–मोर आस के तहत किरायेदार के रूप में निवासरत हितग्राहियों को अब तक 1281 आवास का आबंटन लॉटरी के माध्यम से किया जा चुका है। मोर मकान–मोर चिन्हारी के तहत ऐसे हितग्राही जिनका मकान सड़क, नाली, नहर निर्माण आदि से प्रभावित हुए है। ऐसे हितग्राहियो को 540 मकान का आबंटन किया गया है। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत किरायेदार के रूप में निवासरत है, उन सभी परिवारों को आवास पाने का सुनहरा मौका है। इसके लिए जल्द ही नगर निगम भिलाई सुपेला मुख्य कार्यालय के कक्ष क्रमांक 16 आवास शाखा में संपर्क कर आवेदन शुल्क 100 रूपये के साथ आवेदन कर सकते है। आवास के लिए आवश्यक दस्तावेज 1. 31 अगस्त 2015 से पूर्व निगम भिलाई क्षेत्र में निवासरत होना आवश्यक है। 2. भारत में कहीं भी स्वंय का मकान नहीं होना चालिए, इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 3. परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से कम होना चाहिए। आवेदन के साथ उक्त दस्तावेज जमा करने के उपरांत हितग्राही को आवास आबंटन के लिए केवल 10 प्रतिशत हितग्राही अंशदान जमा करना होगा। जो परिवार आवेदन जमा कर चुके है और जिनका सूची में नाम है, उन आवेदको को आवास आबंटन की लाटरी में शामिल किया जाएगा।